(127)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ.4 ( )पराविं/पीसी/जनता जल योजना/08/338 जयपुर,दिनांक : 1/3/12

:: आदेश ::

विभागीय आदेश कमांक एफ 165 (7)पराविं/लेब/ टीएफसीएसएफसी /बैठक /10/2970–78 दिनांक 13.9.11 एवं 3689–99 दिनांक 4.11.11 के अनुसार इन योजनाओं के दिनांक 3.8.11 से पूर्व के विद्युत बिलों के भुगतान हेतु 13वें वित्त आयोग की ग्रांट राशि से तथा विभागीय परिपत्र कमांक 310 दिनांक 28.2.12 द्वारा इसके उपरान्त चालू योजनाओं का विद्युत बिलो की मूल राशि (विलम्ब भुगतान सरचार्ज को छोडकर) का भुगतान निर्बन्ध राशि (पंचायती राज संस्थाओं हेतु (Untied Funds for PRIs) योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित राशि में से (उक्त फण्ड में राशि की उपलब्धता की सीमा तक) नियमित रूप से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

इस संबंध मे प्रसांगिक आदेश व परिपत्र अनुसार चालू योजनाओं के बकाया विद्युत बिलों की मूल राशि ही देय होगी। इन योजनाओ के बकाया विद्युत बिलों मे ~~विलम्ब भुगतान सरचार्ज को माफ करने के संबंध मे राज्य स्तर पर विचार किया~~ जा रहा हैं। अतः उक्त संबंध मे आदेशित किया जाता है कि चालू जनता जल योजनाओं के विद्युत बिलो की बकाया मूल राशि का ही भुगतान उक्त आदेश/परिपत्र के तहत देय होगा, अर्थात विद्युत बिलो मे सम्मिलित विलम्ब भुगतान सरचार्ज की राशि का भुगतान देय नही होगा।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव अति. मुख्य सचिव वित्त विभाग जयपुर ।
2. निजी सचिव अति. मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव अति. मुख्य सचिव जल संसाधन एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग जयपुर ।
4. निजी सचिव शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग जयपुर ।
5. विशेषाधिकारी, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी वित्त (व्यय–5) विभाग जयपुर ।
7. मुख्य लेखाधिकारी मुख्यालय जयपुर ।
8. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग जयपुर ।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त ।
10. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त ।
11. लेखाधिकारी जिला परिषद समस्त ।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त

अधिशाषी अभियन्ता (प्रो.)

C:\Documents and Settings\user\My Documents\P.K. Sharma ji\Pawan Kumar Sharma\pks order.doc